न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्तं, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 228 / 2023

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सुरेन्द्रसिंह पुत्र जोरसिंह राजपूत निवासी खींवसर, तहसील व जिला जैसलमेर		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बाप आदेश क्रमांकः कोर्ट / 2020 / 89 दिनांक 24.01.2020

उपस्थित–

1. श्री नाहरसिंह सोलंकी वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.06.2024

[illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत खसरा एकीकरण के प्रस्ताव में अंतर्गत धारा 136 व 131 आरएलआर, एक्ट में पारित आदेश कमांक 89 दिनांक 24.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, एकीकरण प्रस्ताव से संबंधित भूमि में हुए परिवर्तन के दस्तावेज प्रयास करने के बावजूद उपलब्ध नही होने से खातों का एकीकरण प्रस्तावित किया गया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा सहमति दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम सांगूरी के खसरा नं0

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

20/2 का गलत रिपोर्ट के आधार पर एकीकरण किया गया है। जबकि मूल खसरा नं0 20 में से अपीलांट का खसरा नं0 20/2 उपखण्ड अधिकारी फलौदी के भूमि आवंटन आदेश दिनांक 17.5.79 के क्रम में पूर्व में ही अलग हो चुका था एवं इसका नामान्तरकरण पारित किया जाकर, नक्शें में अलग तरमीम की जा चुकी थी व लगान भी अलग कायम किया जा चुका था। जमाबंदी संवत् 2061–64 के अनुसार उक्त खसरान की भूमि केसरकंवर बेवा जोरसिंह के नाम दर्ज थी, जो वर्तमान में जरिये पंजीबद्ध हकतर्कनामा दिनांक 25.11.2022 द्वारा अपीलांट के स्वामित्व की है।

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उसकी सहमति ली गई। जो विधि विरूद्ध होने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपीलांट के हद तक निरस्त फरमाने तथा अपीलांट के खसरा नं0 20/2 को पूर्व की स्थिति में बहाल कर, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में फार्म नं0 3 के संलग्न उल्लेखित दस्तावेजों यथा जमाबंदी खसरा नं0 20/2 रकबा 37.10 बीघा, ऑन लाईन भूनक्शा व खसरा गिरदावरी, ना0क0सं0 78 व हकतर्कनामा की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि राज्य सरकार की महत्वांकांक्षी DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, एकीकरण प्रस्ताव से संबंधित भूमि में हुए परिवर्तन के दस्तावेज प्रयास करने के बावजूद उपलब्ध नही होने से खातों का एकीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही होने के कारण तहसीलदार बाप द्वारा उक्त प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को अंतर्गत धारा 136 व 131 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तावित किया गया, जिस पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा सहमति दी गई है। ऑनलाईन भूनक्शा दिनांक 20.8.22 के अनुसार खसरा नक्शा एवं जमाबंदी में खसरा नं0 20/2 कई व्यक्ति/संस्था के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त स्थिति में अपीलाधीन आदेश द्वारा जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, एकीकरण प्रस्ताव से संबंधित भूमि में हुए परिवर्तन के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दस्तावेज प्रयास करने के बावजूद उपलब्ध नही होने से खातों का एकीकरण की स्वीकृति दी जाना विधिसम्मत होने अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2061–64 व 2073–76 के अनुसार ग्राम सांगूरी के खसरा नं0 20/2 रकबा 37.10 बीघा की भूमि काश्तकार/खातेदार केसरकंवर बेवा जोरसिंह के नाम दर्ज है। जो जमाबंदी संवत् 2077–2080 (वर्ष 2021) एवं ऑनलाईन भूनक्शा एवं जमाबंदी के अनुसार उक्त खसरा नं0 20/2 की भूमि कुल 9 व्यक्ति/संस्था के नाम दर्ज है। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित नही होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में राजस्व नक्शें में तरमीशुदा थी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश द्वारा जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, एकीकरण प्रस्ताव से संबंधित भूमि में हुए परिवर्तन के दस्तावेज प्रयास करने के बावजूद उपलब्ध नही होने से खातों का एकीकरण की स्वीकृति दी जाना विधिसम्मत प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः कोर्ट/2020/89 दिनांक 24.01.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20 **जून, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर